प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.04.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम से चोरी करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1732500 रुपये व एक स्कूटी बरामद।

घटना का विवरण:- दिनांक 26.04.2024 को वादी संदीप गुप्ता चीफ मैनेजर अम्बेडकर मार्क ब्रान्च पीएनबी बैंक ने थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी कि पीएनबी बैंक के माडल टाउन एटीएम से 1732500 रुपये (सतरह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) चोरी कर लिये गये है उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया। सभी टीमो द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट व सीसीटीवी कैमरो की मदद से दिनांक 27.04.2024 को चोरी करने वाले वाँछित अभियुक्त रवि कुमार को चौधरी मोड से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 1732500 रुपये (सतरह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये) बरामद किये गये है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

रवि कुमार पुत्र धर्मपाल सिह पता- म0न0 -273 माता कालोनी सैक्टर -12 विजयनगर गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास रवि कुमार

1- कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग मारपीट/धमकी का पंजीकृत।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैने पीएनबी के मांडल टाउन स्थित एटीएम से अपनी शौक पूरे करने के लिये रुपये चोरी किये थे।

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी के 1732500 रुपये

2- स्कूटी न0- UP14ED8254

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वांछित रू0 50000/- का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

दिनाँक-28/04/2024 को क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना नन्दग्राम गाजियाबाद में शशाँक शर्मा निवासी जनकपुरी दिल्ली को बन्धक बनाकर फिरौती व रंगदारी माँगने के सम्बन्ध मे पंजीकृत मुकदमें में वाँछित / पुरस्कार घोषित अपराधी बिजेन्द्र त्यागी को मेरठ मोड थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। अभियुक्त की गिफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध / मुख्यालय) गाजियाबाद के द्वारा रू0 50,000/- का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था।

अवगत कराना है कि दिनाँक-14/10/23 को वासु त्यागी पुत्र बिजेन्द्र त्यागी द्वारा अपने साथियों के साथ वादी शशाँक शर्मा निवासी जनकपुरी दिल्ली को राजनगर एक्सटेंशन सुपर विलेज मे फ्लैट में बुलाकर असलहे के बल पर बन्धक बनाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए 6 करोड रूपये की फिरौती माँगी गयी थी जिस पर वादी ने अपने दिल्ली निवासी दोस्तों से 2 करोड 75 लाख रूपये की व्यवस्था कराकर वासु त्यागी के सहयोगी हर्षित को दे दिये थे। उसके बाद फिरौती के बाकी पैसे का इन्तजाम न कर पाने के कारण अभियुक्तों ने वादी से कहा कि आने वाले सोमवार को 25 लाख रूपये और देना तथा हमें हफ्ते के रूप मे 10 लाख रू महीना देते रहना और वादी से मार-पीट कर एक कागज पर लिखवाया कि मैनें 3 करोड रूपये दे दिये है बाकी पैसों के मैं चैक दे दूँगा तथा धमकी दी कि पुलिस या किसी और को यह बात बतायी तो वादी व उसके परिवारीजनो को जान से मार देंगे। इस सम्बन्ध मे थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- बिजेन्द्र त्यागी पुत्र जसवीर सिंह निवासी 2 सी / 748 ए प्रद्युम्न नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर जनपद-सहारनपुर उम्र करीब 67 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण- अभियुक्त पूर्व से थाना नन्दग्राम गाजियाबाद के मु0अ0सं0-803/23 धारा-147/323/504/506/342/386/34/120बी भा.द.वि. में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा घरों का ताला तोडकर चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के आभूषण (01 गले का हार , 02 जोडी झुमकी, 01 हाथ का कंगन , 01 कान का टाप्स व 01 तेरह लर वाली लटकन), चाँदी की (01 जोडी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 07 सिक्के, 01 अंगूँठी व 02 जोडी बिछवा), 05 हाथ की घड़ी, 01 लेपटॉप व 03 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 25.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी विशभ गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता की लिखित तहरीर के आधार पर घर का ताला तोडकर चोरी करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसका संज्ञान लेते हुए दिनांक 27.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घरों का ताला तोडकर चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. अशोक सिंह पुत्र लाल बहादुर **मूल निवासी** ग्राम कैलाश माण्डू थाना तीरी मीड़ी जिला बाजूरा नेपाल **हाल निवासी** गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 35 बर्ष । 2. सूरज पुत्र नवल सिंह **मूल निवासी** ग्राम कैलाश माण्डू थाना तीरी मीड़ी जिला बाजूरा नेपाल **हाल पता** जिंदल मार्केट लाजपत नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष । 3. पारस पुत्र पीरम बहादुर **मूल निवासी** ग्राम साहिल थाना तीरी मीड़ी जिला बाजूरा नेपाल **हाल पता** खजूरी पार्क के पास जनकपुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को फुट

ब्रिज के पास बने नाले की पूर्वी दीवार शालीमार गार्डन के पास पीली धातु के आभूषण (01 गले का हार , 02 जोडी झुमकी, 01 हाथ का कंगन , 01 कान का टाप्स व 01 तेरह लर वाली लटकन), चाँदी की (01 जोडी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 07 सिक्के, 01 अंगूँठी व 02 जोडी बिछवा), 05 हाथ की घड़ी, 01 लेपटॉप व 03 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुध्द आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि अशोक कालॉनी में चौकीदारी करता है। जो हमें बंद व ताला लगे हुए घरों की जानकारी कर तथा उन्हें टारगेट कर अपने अन्य साथियों को बुलाकर प्लान बनाके हम लोग बन्द घरों का ताला तोडकर चोरी की घटना को अंजाम देते है तथा चुराया हुआ चोरी का सामान बेचकर जो पैसा मिलता है। उसे हम सभी आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है। इस पैसे को अपनी मौज मस्ती में खर्च करते है। जो सामान हम लोगों के कब्जे से मिला है। उसे भी हम लोगों ने बन्द घरों का ताला तोडकर ही चोरी किया था। चोरी किए हुए सामान को हम लोग बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. अशोक सिंह पुत्र लाल बहादुर **मूल निवासी** ग्राम कैलाश माण्डू थाना तीरी मीड़ी जिला बाजूरा नेपाल **हाल निवासी** गणेशपुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 35 बर्ष।
2. सूरज पुत्र नवल सिंह **मूल निवासी** ग्राम कैलाश माण्डू थाना तीरी मीड़ी जिला बाजूरा नेपाल **हाल पता** जिंदल मार्केट लाजपत नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।
3. पारस पुत्र पीरम बहादुर **मूल निवासी** ग्राम साहिल थाना तीरी मीड़ी जिला बाजूरा नेपाल **हाल पता** खजूरी पार्क के पास जनकपुरी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- पीली धातु के आभूषण (01 गले का हार, 02 जोडी झुमकी, 01 हाथ का कंगन, 01 कान का टाप्स व 01 तेरह लर वाली लटकन)
- चाँदी की (01 जोडी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 07 सिक्के, 01 अंगूँठी व 02 जोडी बिछवा)
- 05 हाथ की घड़ी
- 01 लेपटॉप
- 03 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल , 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस .32 बोर व घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद।

दिनांक 27.04.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी श्री मौ0 जाहीद पुत्र गफ्फार निवासी मलिक नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि अभियुक्त नावेद पुत्र मुम्तयाज उम्र 25 वर्ष निवासी नाले पर विशाल सिनेमा हॉल के पीछे मौहल्ला मलिकनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद के द्वारा अपनी कार स्कॉर्पियो से आकर वादी के छोटे भाई जावेद

उम्र करीब 27 वर्ष के सिर में गोली मार दी गयी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया और उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है, प्राप्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना को कारित करने वाले अभियुक्त नावेद पुत्र मुम्तयाज उम्र 25 वर्ष निवासी नाले पर विशाल सिनेमा हॉल के पीछे मौहल्ला मलिकनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल , दो जिन्दा कारतूस .32 बोर व घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी व घटनास्थल से दो खोखा कारतूस. 32 बोर बरामद किये गये। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनाक 27.04.2024 को शाम 5 बजे के करीब मैं मलिकनगर नईम की दुकान के पास स्कॉर्पियो गाड़ी से पहुंचा तो नईम की दुकान के बराबर में दानिश खड़ा था, जिस पर मेरे 2.50 लाख रुपये थे, जो नहीं दे रहा था। दानिश को अचानक से देखकर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपनी पिस्टल से दानिश को गोली मारी जो उसको नहीं लगी, दानिश को जावेद ने बचाने की कोशिश की तब मैंने दूसरी गोली चलाई जो जावेद के सिर में जा लगी, मैं लहूलुहान जावेद को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ईलाज के लिए मुरादनगर व मोदीनगर अस्पताल लेकर गया लेकिन किसी ने जावेद को भर्ती नहीं किया तो मैं घबराकर जावेद को चुगी न0 3 के पास सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

नावेद पुत्र मुम्तयाज उम्र 25 वर्ष निवासी नाले पर विशाल सिनेमा हॉल के पीछे मौहल्ला मलिकनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी

1-घटना में प्रयुक्त पिस्टल , 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर

2-घटनास्थल से बरामद 02 खोखा कारतूस .32 बोर

3-घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर चोरी का 01 अभियोग, थाना कौशाम्बी पर धारा-307 भादवि का 01 अभियोग व थाना मुरादनगर पर धारा-307 भादवि का 01 अभियोग, कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैंb।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 28.04.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्त 1. दीपक पुत्र राजेन्द्र **निवासी** 151 हरि एन्कलेव किरारी सुलेमान नगर थाना अमन विहार दिल्ली 86 उम्र 19 वर्ष। 2. प्रिन्स पुत्र विनोद **निवासी** 620 खजूर वाली गली गौण्डा अम्बेडकर बस्ती थाना भजनपुर दिल्ली 53 उम्र 19 वर्ष। 3. सुमित पुत्र

बृजेश **निवासी** ए 49 अमन विहार थाना सुल्तानपुरी दिल्ली 86 उम्र 21 वर्ष को बालक छात्रावास टीला मोड़ के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल हम तीनों ने मिलकर दिनांक 23.04.2024 को सुबह के समय अवतार एनकलेव सर्विस रोड़ पश्चिम विहार दिल्ली से चोरी की थी। आज हम तीनों इस मोटर साइकिल को बचने के लिए छात्रावास पर खड़े थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. दीपक पुत्र राजेन्द्र **निवासी** 151 हरि एन्कलेव किरारी सुलेमान नगर थाना अमन विहार दिल्ली 86 उम्र 19 वर्ष।
2. प्रिन्स पुत्र विनोद **निवासी** 620 खजूर वाली गली गौण्डा अम्बेडकर बस्ती थाना भजनपुर दिल्ली 53 उम्र 19 वर्ष।
3. सुमित पुत्र बृजेश **निवासी** ए 49 अमन विहार थाना सुल्तानपुरी दिल्ली 86 उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 08 वर्ष की नाबालिक लड़की की हत्या का खुलासा करते हुये दो बाल अपचारी संरक्षण

दिनांक 28.04.2024 को स्वाट टीम ग्रामीण एंव थाना मसूरी पुलिस द्वारा 8 वर्षीय नाबालिक लड़की की सनसनीखेज हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये दो बाल अपचारी को ग्राम आकलपुर में श्री सुधीर के कोल्हू पर बने झुग्गी इनके निवास से करीब 12.30 बजे हिरासत में लिया गया ।

घटना का विवरण –

दिनांक 21.4.2024 को वादी ने थाना मसूरी पर लिखित सूचना दी कि ग्राम आकलपुर में कोल्हू में मजदूरी कर रहा हूँ । मेरी लड़की उम्र करीब 8 वर्ष कल दिनांक 20.4.2024 से शाम से लापता हो गयी थी तलाश के दौरान उसका शव गांव के बाहर नाले में ईंटों से नीचे दबा हुआ मिला है। सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित कर सक्रिय किया गया।

पूछताछ का विवरण –

हिरासत में लिये गये बाल अपचारी उम्र करीब 13 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि मैं ग्राम आकलपुर में श्री सुधीर के कोल्हू पर अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता हूँ। इस कोल्हू के पास ही सभाजीत का कोल्हू है जिस पर हमारे पारिवारिक चाचा का परिवार व बच्चे रहते हैं। चाचा की लड़की उम्र करीब 8 वर्ष ने करीब एक माह पहले मेरे पिता जी से गलत काम के प्रयास की शिकायत करके मुझे पिटवाया था। तभी से मैं इसको मारने की फिराक में था दिनांक 20.4.2024 को दिन में करीब 3.00 बजे मैं कोल्हू के पास ही चकरोड के पास रोड पर खड़ा था तभी चाचा की लड़की अकेले आते हुये दिखायी दी। तभी मैंने अकेला पाकर उसे पकड़ लिया एंव घसीटते हुये पास में अधबने कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। उसके चीखने चिल्लाने पर उसे नीचे दबा लिया तथा उसके सिर में ईट मारी जिससे वह मर गयी। फिर मैंने अपने छोटे भाई उम्र करीब 11 वर्ष को बुलाया और मैंने लड़की को बराबर में बह रहे नाले में डालकर उसके ऊपर खड़ा हो गया और मेरे छोटे भाई ने मुझे पास में रखी हुयी ईंटें पकड़ायी और मैने लड़की के ऊपर इटें रखकर दबा दिया। फिर हम अपनी झुग्गी में गये और कीचड़ में सने हुये अपने कपड़े छुपाकर रख दिये।

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- बाल अपचारी उपरोक्त पर थाना मसूरी पर हत्या का एक अभियोग पंजीकृत है। पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 186 पव्वे अवैध देशी शराब (33 लीटर 480 ग्राम) बरामद।

दिनांक 28.04.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्त 1. बादशाह पुत्र सौकत अली **निवासी** झुग्गी नम्बर 313 ई 43 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 39 वर्ष। 2. शेख जाहिद पुत्र रफीक **निवासी** मस्जिद न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष। 3. अदनान खान पुत्र अकरम खान **निवासी** सी 216/518 गली नं0 08 चौहान बांगर सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को अस्सी फुटा रोड़ राजस्थान मार्बल के पीछे वाली गली शालीमार गार्डन के पास से 186 पव्वे अवैध देशी शराब (33 लीटर 480 ग्राम) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पुछताछ करने पर बताया कि हम लोग एनसीआर क्षेत्र में आकर देशी शराब बेचते है। शराब बेचकर पैसा आपस में बाट लेते है। इस पैसे को अपनी मौज मस्ती में खर्च करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. बादशाह पुत्र सौकत अली **निवासी** झुग्गी नम्बर 313 ई 43 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 39 वर्ष।
2. शेख जाहिद पुत्र रफीक **निवासी** मस्जिद न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
3. अदनान खान पुत्र अकरम खान **निवासी** सी 216/518 गली नं0 08 चौहान बांगर सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 186 पव्वे अवैध देशी शराब (33 लीटर 480 ग्राम) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम